फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2011/00072 बआनवान अर्जुनसिह बनाम जयसिंह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/11/24.	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं न्यायालय आदेश दिनांक 07.09.2021 की पालना में तहसीलदार बाली से पुनः विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम जादरी के गत खसरा नंबर 166 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से दिनांक 08.04.1974 को प्रार्थी गण नियमनसुदा 15 बीघा भूमि के मौका स्थिति के अनुसार बने हाल खसरा नंबर 79 रकबा 4.69 हैक्टर में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि रकबा 2.40 हैक्टर भूमि का खातेदार इन्द्रात दुरूस्ती के जरिये दर्ज किये जाने की मांग की गई है। अपनी मांग के समर्थन में यह वर्णित किया गया है कि हाल खसरा नंबर 79 गत खसरा नंबर 166 व 169 के भू–भाग से बना है परंतू मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नंबर 166 का उल्लेख नही कर मात्र गत खसरा नंबर 169 का ही उल्लेख किये जाने से प्रार्थीगण द्वारा गत व हाल नक्शे को ओवरलैपिंग करते हुये ओवरलैंपिंग नक्शा पेश किया गया है। अप्रार्थी सं 1 व 2 के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये जवाब में उल्लेखित किया गया है कि सेटलमेंट के पूर्व की अंतिम जमाबंदी में ग्राम जादरी के हाल खसरा नंबर 79 की भूमि मांगीलाल पुत्र खीमराज जैन निवासी खुडाला की खातेदारी में दर्ज थी। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि मांगीलाल पुत्र खीमराज से खरीद की है व खरीद के पश्चात बतौर खातेदार हाल खसरा नंबर 79 रकबा 4.69 हेक्टर पर अप्रार्थी सं 1 व 2 का काश्त व कब्जा लगातार चला आ रहा है हाल खसरा नंबर 79 के पुराने खसरा नंबर 169 रहे है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का होने से न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से रिकार्ड व मौका के संबंध में रिपोर्ट तलब की जा चुकी है जिस रिपोर्ट से प्रार्थी सहमत नही है। तहसीलदार बाली ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु सं 3 में हाल खसरा नंबर 79 रकबा 4.69 हैक्टर गत खसरा नंबर 169 से बनना जाहिर करते हुये बिन्दु सं 4 में उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण राजस्थान लैण्ड रेकर्ड एक्ट एवं राजस्थान लैण्ड रेकर्ड रूल्स 1957 तथा भू–प्रबंध विभाग के परिपत्र क्रमांक 3972 दिनांक 24.0.2002 के नियमानुसार भू–प्रबंध विभाग के सर्वे विशेषज्ञ से सर्वे(सीमाज्ञान) करवा कर सिद्ध करें। इस संबंध में भू–प्रबंध विभाग के परिपत्र क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु./सामान्य/9/13/4/92/1701 दिनांक 15.05.12 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार दो पक्षों के मध्य सीमा विवाद होने पर राज्य सरकार/जिला कलेक्टर के माध्यम से तकनीकी टीम की मांग किये जाने पर सशुल्क टीम भू–प्रबंध अधिकारी अपने स्तर से उपलब्ध करवायेगें । इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में भी यह स्वीकार्य तथ्या है कि इन्द्राज दुरस्ती के उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से तलब की गई रिपोर्ट से प्रार्थीगण सहमत नहीं है तथा पनुः रिपोर्ट मंगाये जाने की दलील दे रहे है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से जादरी के गत खसरा नंबर 166 से हाल खसरा नंबर 79 बनना प्रमाणित नहीं है बल्कि गत खसरा नंबर 169 से हाल खसरा नंबर 79 बनने की पुष्टि होती है।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	जिस तथ्य को तहसीलदार बाली ने भी अपने जवाब एवं रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे बार बार राजस्व ऐजेन्सी से रिपोर्ट तलब करना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करने हेतु भू–प्रबंध विभाग के परिपत्र क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु./सामान्य/9/13/4/92/1701 दिनांक 15.05.12 के अनुसार कार्यवाही कर अपना अनुतोष प्राप्ति की कार्यवाही करें। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। सैटलमेंट के सर्वे दल द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर गत व हाल खसरों के संबंध में जांच रिपोर्ट करने पर प्रार्थी अपना अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner